

संपादकीय मुस्लिम सियासत को चाहिए नई जुबान...

भारत से रिश्तों में खटास बढ़ने का अंदेशा लगा....

मालदीव में हुए चुनाव में मोहम्मद मोइज्जू के दल ने 71 सीटों पर जीत हासिल की है। राष्ट्रपति मोइज्जू के नेतृत्व वाली पीपुल्स नेशनल कांग्रेस (पीएनसी) ने बीसवी पीपुल्स मजलिस यानी संसद में कुल 93 में से 68 सीटें जीतीं। इसके गठबन्धन साझेदारों मालदीव नेशनल पार्टी व मालदीव डेवलपमेंट एलायर्स ने क्रमशः एक व दो सीट जीती। जो संसद के दो तिहाई बहुमत से अधिक है। पिछले साल चुनाव जीतने के बाद यह चुनाव उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा की तरह देखा जा रहा था। मुइज्जू की प्रचंड कही जा रही यह जीत चीन समर्थक व भारत विरोधी नीतियों के तौर पर देखी जा रही है। मौजूदा मजलिस में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद सोलीह को भारत समर्थक माना जाता है। अब तक बहुमत में रहे उनके दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने पिछले दिनों मुइज्जू सरकार के मंत्रियों की नियुक्ति रोक दी थी। ताजा चुनाव में उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा। मालदीव की आर्थिक स्थिति बेहद चिंतनीय है। उस पर पहले ही भारी कर्ज है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष चेतावनी भी दे चुका है। मुइज्जू के सत्ता में आने के बाद भारत से रिश्तों में आई खटास बढ़ने का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। कहा जा रहा है भारतीय सैनिकों की वापसी के फैसले के कारण ही उन पर मतदाताओं का भरोसा बड़ा है। चीन इसका लाभ उठाने की संभवनाओं की तलाश में पहले ही है। वह करोड़ों डॉलर कर्ज दे चुका है। चीन के निमंत्रण पर वहां दौरा कर मुइज्जू भारत को स्पष्ट संकेत दे चुके हैं। वे यूर्एंड व तुर्की भी गए पर भारत नहीं आए, जबकि इससे पहले अब तक वहां के राष्ट्रपति यहां आते रहे हैं। हम छोटे देश हैं, उसका मतलब यह नहीं कि हमें धौंस दिखाने का अधिकार है, मुइज्जू ने यह बयान भारत का नाम लिये बगैर दिया था। बल्कि उन्होंने अपनी रैली में साफतौर पर कहा कि चीन उन्हें नॉन लीथल हाथियार मुफ्त देने को राजी है। इससे पहले ही चीन के साथ मालदीव सरकार के सैन्य समझौतों को लेकर भारत की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। भारतीय पर्यटकों की पसंदीदा जगह होने के साथ ही मालदीव हम पर खाद्य व निर्माण सामग्री के लिए निर्भर होने के चलते रिश्तों को इतना बिगड़ने से पहले सोचेगा जरूर। चीन से नजदीकी व लाभ के बावजूद दोनों देशों को शांतिपूर्ण संबंधों के भरसक प्रयास करने चाहिए।

विवाद को आगे न बढ़ाया जाए

अवधेश कुमार

आशा की जानी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग मशीन (ईवीएम) से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का आगामी आदेश अंतिम होगा। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान जैसी टिप्पणियां की एवं याचिकार्ता से तीखे प्रश्न किया उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि फैसला क्या होगा। पिछले महीने ही सर्वोच्च अदालत ने ईवीएम से संबंधित दो याचिकाएं खारिज की थीं। न्यायालय ने एक याचिकार्ता पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया था। बस्तुतः शीर्ष अदालत ईवीएम से जुड़ी 40 याचिकाएं अभी तक खारिज कर चुका है। सामान्यतः यह बात समझ में नहीं आती कि चुनाव आयोग के साथ विसनीय विशेषज्ञ द्वारा बार-बार स्पष्ट करने के बावजूद की ईवीएम से न छेड़छाड़ हो सकती है न ही इसे हैक किया जा सकता है; इसके द्वारा चुनाव न कराने का अभियान क्यों लगातार जारी है? सर्वोच्च अदालत में भी इस पर बहस हो चुकी हैं, फैसले आ चुके हैं। उच्च न्यायालयों ने दो दर्जन से ज्यादा इस पर फैसले दिए हैं। सभी में न्यायालय ने चुनाव आयोग के इस दावे को स्वीकार किया है कि ईवीएम से मतदान कराया जाना सुरक्षित और विसनीय है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि ईवीएम एवं भारतीय राजनीति की विडंबनाओं का शिकार हो चुका है। इसी ईवीएम से जब राज्यों में विपक्ष जीतता है या 2004

एवं 2009 में यूपीए की सरकार गठन में इसका योगदान होता है तो वर्तमान विरोधी प्रश्न नहीं उठते। हालांकि भाजपा की ओर से भी एक समय ईवीएम को इस अविसर्नीय बनाने की कोशिश हुई थी किंतु बाद में उसने इस अध्याय को पूरी तरह बंद कर दिया। ऐसा लगता है जैसे भारत के संपूर्ण लोकतंत्र और व्यवस्था को ही आम लोगों से लेकर संपूर्ण विश्व की दृष्टि में संदर्भ, अविसर्नीय और साखविहीन साबित कर देने का सोचा समझा अभियान चल रहा हो। कल्पना करिए, अगर भारत सहित दुनिया भर में लोगों के एक बड़े समूह के अंदर यह बात बिठा दिया जाए कि भारत के सत्तारूढ़ पार्टी और गठबंधन ईवीएम में छेड़छाड़ कर चुनाव जीता है जबकि उसे जनता बोट नहीं देती तो हमारी क्या छवि बनेगी? भारत का संसदीय लोकतंत्र, यहां का स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव विश्व के लिए एक बड़ा उदाहरण है। विश्व भर के टिप्पणीकार, विश्लेषक, राजनेता बताते हैं कि भारत जैसे विविधताओं वाले देश में इतने भारी मतदाताओं का मतदान संपन्न कराकर लोकतंत्र का चक्र बनाए रखना अद्भुत सफलता है। यही सच भी है। अनेक देशों ने हमारे चुनाव आयोग और एवं का सहयोग लेकर अपने यहां भी चुनाव संपन्न कराए हैं, लेकिन हमारे यहां के राजनीतिक दल, उनसे जुड़े वकील, कुछ एक्टिविस्ट, एकेडमिशन, एक्टिविस्ट वकीलों का एक बड़ा वर्ग ईवीएम के विरुद्ध किसी न किसी तरह न्यायालय का उपयोग करते हुए या अन्य माध्यमों से अपना अभियान चलाते रहते हैं। हमने देखा कि 2019 के चुनाव के पहले लंदन से लेकर अमेरिका जैसे देशों में भारत के ईवीएम को लेकर ढोमो हो रहा है, बयान दिए जा रहे हैं। यह बात अलग है कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को जब भी चुनौती दी कि आइए हमारे समक्ष एवं से छेड़छाड़ साबित करिए तो कोई नहीं गया। जिस आम आदमी पार्टी के नेता पत्रकार वार्ता में एक नकली ईवीएम लेकर इसमें छेड़छाड़ साबित कर रहे थे वह भी चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचे। साफ है कि इसके संबंध में जो भी आशंकाएं उठाई गईं वो निराधार हैं। वर्तमान मामले में ही अलग-अलग तरह के तर्क दिए गए। ऐसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से प्रस्तुत याचिका में वकील प्रशांत भूषण ने एक प्रस्तुति भी दी जिसमें साबित किया गया कि ईवीएम विसर्नीय प्रणाली नहीं है और हमें मत पत्रों से चुनाव की ओर लौटना चाहिए। उन्होंने यह भी विकल्प दिया कि अगर ईवीएम से करना ही है तो वीवीपैट की बनावट ऐसी हो कि उसमें से हर मतदाता को उनके बोट की पर्ची मिल जाए। जब उन्होंने पश्चिम जर्मनी का उदाहरण दिया तो उच्चतम न्यायालय ने पूछा कि वहां की आबादी कितनी है। सच है कि 7-8 करोड़ आबादी वाले देश का उदाहरण 98 करोड़ से ज्यादा मतदाता वाले देश के संदर्भ में देना स्वीकार नहीं हो सकता। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि मत पत्रों से मतदान के दौरान क्या होता था।

ਹਫ਼ਹਦ ਜੁਬੇਰੀ

लोकसभा चुनाव के पहले चरण के समाप्त होने के बाद कई रिपोर्टें ने बताया कि मुसलमान इस चुनाव में रणनीतिक चुप्पी बरत रहे हैं। इसमें धर्मीकरण को रोकने के लिए उकसावे की किसी स्थिति में चुप्पी बनाए रखना, भारतीय जनता पार्टी को सीट-दर-सीट हराने के लिए स्थानीय उम्मीदवारी के मुताबिक रणनीतिक रूप से बड़ी तादाद में मतदान करना शामिल है। इस घटना से बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक दुनिया को चिंतित हो जाना चाहिए। सबसे पहले, यह हमें बताता है कि मुस्लिम मतदाताओं ने इस तथ्य को मंजूर कर लिया है कि लोकतंत्र में उनकी राजनीतिक भागीदारी सिर्फ बहुसंख्यक राजनीति से सुरक्षित रहने तक सीमित है। अधिकतर मुस्लिम शायद उन उम्मीदवारों को बोट देंगे, जो भाजपा को मजबूत चुनावी देते हुए दिखेंगे। यहां मुस्लिम बोट एक किस्म के संभावित खतरे का बंधक है और इसका कोई सियासी महत्व नहीं है। मुसलमान महज तरकी के बादों के लिए अपने बोट का सौदा नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि उनकी मौन उपेक्षा हुई है, जिसका उन्हें बदला लेना है। उनकी चुप्पी यह भी दिखाती है कि मुसलमानों में दोहरी चेतना विकसित हो गई है, जहां उन्हें लगता है कि वे भारतीय समाज के धर्मीकरण में योगदान करते हैं, इसलिए उन्हें यह यकीन है कि उनकी चुप्पी धर्मीकरण को कम कर देगी। सच तो यह है कि अक्सर धर्मीकरण को निशाना बनाया जाता है और इससे फयदा भी उठाया जाता है। यह स्थिति बहुसंख्यकों के लिए नैतिक बदलाव और पिछले दशक में भारत द्वारा महसूस की गई दूरियों की जिम्मेदारी लेने में उनकी नाकामी की ओर भी इशारा करती है। यह चुप्पी हमें बताती है कि मुसलमान समने नजर आने वाली सियासी भागीदारी से डरते हैं। यह कोई आश्वर्य की बात नहीं है। पिछले दशक में कुछ जगहों पर मुस्लिमों के सियासी कदमों को



राज्य का प्रतिकूल रवैया भी झेलना पड़ा है। कुछ उदाहरणों को छोड़ दीजिए, तो आज भी मुस्लिमों के अधिकार चुनावी मुद्दे नहीं बन सके हैं। इस चुप्पी और राजनीतिक उपेक्षा के सामने युवा मुसलमानों को आज सियासत की एक नई भाषा या जुबान विकसित करनी पड़ेगी। अबल तो हमें उस ऐतिहासिक मान्यता को नामंजूर कर देना होगा, जिसके तहत यह समुदाय भारत में रहे मुस्लिम बादशाहों और आज के मुसलमानों को जोड़कर देखता है। गौर कीजिए, संघ परिवार द्वारा बनाए गए नजरिये को अगर देखें, तो वह भारत के मुस्लिम बादशाहों को बाहरी आक्रमणकारी के रूप में ही पेश करता है और आज के मुसलमानों को ऐतिहासिक आक्रान्तिओं के ध्वजवाहक के रूप में चित्रित करता है। यह सोच, मुसलमानों को एक ऐसे कोने में धकेल देती है, जहां बहस का महज एक मक्सद रह जाता है, समुदाय का अलग-थलग हो जाना। जरूरी है कि मुसलमान इस जात को तोड़ फेंकें और इस हकीकत का इजहार करें कि मुस्लिम बादशाहों के साथ उनका उतना ही जुड़ाव है, जितना बाकी हिंदुओं का है। भारत में मुस्लिम शासन ने सामाज्य रूप से भारतीय तहजीब में बड़ा योगदान दिया है और उसे

आकार भी। बदलाव के ये तमाम सांस्कृतिक आकार-प्रकार भारतीय हैं, सिर्फ मुस्लिम नहीं। मिसाल के लिए, उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जुबान नहीं है, बल्कि भारत की एक स्थानीय भाषा है। इस विशेष समुदाय की राजनीति को आज आधुनिक राष्ट्र के साथ तालमेल कर चलना चाहिए। राष्ट्र की मुख्यधारा में अपना दावा पेश करना चाहिए। देश की एक जातीय-राष्ट्रवादी राजनीति आधुनिक भारत में मूल निवास के दावे के साथ हिंदुओं की श्रेष्ठता को स्थापित करने की कोशिश करती रहती है। इस कहानी में यदि कोई मुसलमान अपनी हिंदू विरासत को मंजूर करता है, तो उसे घर वापसी के लिए कहा जाता है। दूसरी ओर, अगर वह अपने पूर्वजों को हिंदू नहीं मानता, तो इसका सीधा मतलब है कि उसके पूर्वज बाहर से आए थे और उन्होंने हिंदुओं पर निर्मम आक्रमण किया था। कुछ लोगों की कोशिश हो सकती है कि किसी भी तरह से मुसलमानों को भारतीय राष्ट्र से संबंधित होने से वर्चित कर दिया जाए। मुस्लिम सियासत की नई जुबान जातीय-राष्ट्रवादी बुनियाद को खारिज कर दे और आधुनिक राष्ट्र-राज्य पर समान दावा पेश करे। इस नई जुबान में इतिहास को समाप्त कर देना चाहिए और हक का कांशीराम की बहुजन भाषा और गुजरात में माधव सिंह सोलंकी की कोती क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम की मिली-जुली राजनीति प्रेरणा के अच्छे उदाहरण हैं। एकजुटा की राजनीति साझा पहचान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ऐसे गठबंधनों को सक्षम बनाती है, जो राजनीतिक सहानुभूति के आधार पर सभी पहचानों को तोड़ सकते हैं। दूसरे समुदाय से खुद को जोड़कर देखना होगा। उदाहरण के लिए, जब छत्तीसगढ़ में किसी चर्च पर हमला होता है, तो एकजुटा महसूस करने के लिए एक मुसलमान का ईसाई होना जरूरी नहीं है। मुस्लिम राजनीति हर पूजा स्थल के लिए समान रूप से आवाज उठाए। देश के प्रति सहज सहानुभूति वास्तव में पूरे समाज में व्यापक रूप से राजनीतिक प्रेरणा का काम करेगी। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी इस चुनावी मौसम में मतदान कर रही है, अनेक कारण हैं, जिनसे समुदाय विशेष ने चुप्पी धारण कर रखी है। उपेक्षा से पैदा हुआ शून्य ही शायद इस समुदाय को नई सोच, नई सियासत के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही, बहुसंख्यक प्रधान भारत में भारतीय मुस्लिम होने का मतलब समझा एगा।

विवाद को आगे न बढ़ाया जाए

आशा की जानी चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मरीन (ईवीएम) से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का आगामी आदेश अंतिम होगा। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान जैसी टिप्पणियां की एवं याचिकार्ता से तीखे प्रश्न किया उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि फैसला क्या होगा। पिछले महीने ही सर्वोच्च अदालत ने ईवीएम से संबंधित दो याचिकाएं खारिज की थी। न्यायालय ने एक याचिकार्ता पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया था। वस्तुतः शोर्ष अदालत ईवीएम से जुड़ी 40 याचिकाएं अभी तक खारिज कर चुका है। सामान्यतः यह बात समझ में नहीं आती कि चुनाव आयोग के साथ विसनीय विशेषज्ञ द्वारा बार-बार स्पष्ट करने के बावजूद की ईवीएम से न छेड़छाड़ हो सकती है न ही इसे हैक किया जा सकता है; इसके द्वारा चुनाव न कराने का अभियान क्यों लगातार जारी है? सर्वोच्च अदालत में भी इस पर बहस हो चुकी है, फैसले आ चुके हैं। उच्च न्यायालयों ने दो दर्जन से ज्यादा इस पर फैसले दिए हैं। सभी में न्यायालय ने चुनाव आयोग के इस दावे को स्वीकार किया है कि ईवीएम से मतदान कराया जाना सुरक्षित और विसनीय है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं कि ईवीएम एवं भारतीय राजनीति की विडंबनाओं का शिकार हो चुका है। इसी ईवीएम से जब राज्यों में विपक्ष जीतता है या 2004

एवं 2009 में यूपीए की सरकार गठन में इसका योगदान होता है तो वर्तमान विरोधी प्रश्न नहीं उठते। हालांकि भाजपा की ओर से भी एक समय ईवीएम को इस अविसनीय बनाने की कोशिश हुई थी किंतु बाद में उसने इस अध्याय को पूरी तरह बंद कर दिया। ऐसा लगता है जैसे भारत के संपूर्ण लोकतंत्र और व्यवस्था को ही आम लोगों से लेकर संपूर्ण विश्व की दृष्टि में संदर्भ, अविसनीय और साखविहीन साबित कर देने का सोचा समझा अभियान चल रहा हो। कल्पना करिए, अगर भारत सहित दुनिया भर में लोगों के एक बड़े समूह के अंदर यह बात बिठा दिया जाए कि भारत के सत्तारूढ़ पार्टी और गठबंधन ईवीएम में छेड़छाड़ कर चुनाव जीता है जबकि उसे जनता बोट नहीं देती तो हमारी क्या छवि बनेगी? भारत का संसदीय लोकतंत्र, यहां का स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव विश्व के लिए एक बड़ा उदाहरण है। विश्व भर के टिप्पणीकार, विश्लेषक, राजनेता बताते हैं कि भारत जैसे विविधताओं वाले देश में इतने भारी मतदाताओं का मतदान संपन्न कराकर लोकतंत्र का चक्र बनाए रखना अद्भुत सफलता है। यही सच भी है। अनेक देशों ने हमारे चुनाव आयोग और एवं का सहयोग लेकर अपने यहां भी चुनाव संपन्न कराए हैं, लेकिन हमारे यहां के राजनीतिक दल, उनसे जुड़े वकील, कुछ एक्टिविस्ट, एकेडमिशन, एक्टिविस्ट वकीलों का एक बड़ा वर्ग ईवीएम के विरुद्ध किसी न किसी तरह न्यायालय का उपयोग करते हुए या अन्य माध्यमों से अपना अभियान चलाते रहते हैं। हमने देखा कि 2019 के चुनाव के पहले लंदन से लेकर अमेरिका जैसे देशों में भारत के ईवीएम को लेकर ढोमो हो रहा है, बयान दिए जा रहे हैं। यह बात अलग है कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को जब भी चुनौती दी कि आइए हमारे समक्ष एवं से छेड़छाड़ साबित करिए तो कोई नहीं गया। जिस आम आदमी पार्टी के नेता पत्रकार वार्ता में एक नकली ईवीएम लेकर इसमें छेड़छाड़ साबित कर रहे थे वह भी चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचे। साफ है कि इसके संबंध में जो भी आशंकाएं उठाई गईं वो निराधार हैं। वर्तमान मामले में ही अलग-अलग तरह के तर्क दिए गए। ऐसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से प्रस्तुत याचिका में वकील प्रशांत भूषण ने एक प्रस्तुति भी दी जिसमें साबित किया गया कि ईवीएम विसनीय प्रणाली नहीं है और हमें मत पत्रों से चुनाव की ओर लौटना चाहिए। उन्होंने यह भी विकल्प दिया कि अगर ईवीएम से करना ही है तो वीवीपैट की बनावट ऐसी हो कि उसमें से हर मतदाता को उनके बोट की पर्ची मिल जाए। जब उन्होंने पश्चिम जर्मनी का उदाहरण दिया तो उच्चतम न्यायालय ने पूछा कि वहां की आबादी कितनी है। सच है कि 7-8 करोड़ आबादी वाले देश का उदाहरण 98 करोड़ से ज्यादा मतदाता वाले देश के संदर्भ में देना स्वीकार नहीं हो सकता। न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि मत पत्रों से मतदान के दौरान क्या होता था।

समाज का स्थाह और चमकीला पहलू....

जयंती रंगनाथन

एक चरित्र 'चमकीला' की इधर बहुत चर्चा है। क्या एक 'चमकीला' हम सबके भीतर रहता है? सालों पहले मुंबई में एक लावणी-प्रस्तुति के दौरान मेरे एक मित्र मराठी गीत के बोल मुझे टिंडी में अनुवाद करके बता रहे थे। कह रहे थे कि ये प्रसिद्ध मराठी लोकगीत हैं। उन्होंने बचपन में मोहल्ले की औरतों को गाते सुना था- अत्तराचा फया तुम्ही मला आण राया/ विरहाचे ऊन बाई/ देह तापवून जाई/ धरा तुम्ही माझ्यावरी/ चंदनाची छाया। मतलब - इत्र के पहले तुम मेरे लिए ले आना, बाहर की आग से ज्यादा मेरे अंदर है आग। तुम अपनी चंदन सी छाया मुझे ओढ़ा देना। पिछले सप्ताह ओटीटी पर पंजाब के लोकप्रिय लोक गायक अमर सिंह चमकीला की जिंदगी पर बनी फिल्म देखते हुए मुझे उस लावणी गीत की बेतहाशा याद आई। चमकीला पंजाबी में ऐसे ही गाने लिखते और गाते थे। वह कहते थे, मैंने बचपन में यही सब देखा है। गाने के बोल उन्होंने अपने आसपास की जिंदगी से उठाए। ऐसी जिंदगी, जो गांब-देहात और कस्बों में आम लोग जीते थे। 1960 में पंजाब के एक छोटे से गांब दुगरी के दलित सिख परिवार में जन्मे धनी सिंह का बस एक छोटा सपना था इलेक्ट्रिशियन बनने का। धनी सिंह को तुंबी बजाने का शौक था। लुधियाना के एक कपड़ा मिल में काम करते हुए धनी को लगा कि उन्हें अपने मन का कुछ करना चाहिए। वह अपने मन से गीत

लगे थे, वे सही थे? क्या फिल्म बनाकर एक 'अश्लील' गायक को महिमामंडित किया जा रहा है? वैसे, अश्लीलता की परिभाषा बहुत महीन है। गौर कीजिए, हमारे देश की नाना लोक संस्कृतियों में द्विअर्थी गाने सदियों से युगे हुए हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। जब यह सब शुरू हुआ होगा, तब मनोरंजन और प्रहसन के लिए कोई आधुनिक माध्यम नहीं था। सामाजिक परिवेश भी अलग था। त्योहारों और मेल-मिलाप के दौरान मस्ती के माहील में कुछ रियायतें ले ली जाती थीं। प्रेम, यौनिक ठिठोली, छेड़छाड़ और वर्जित विषयों पर चुटकियां लेना आम बात थी। अगर आप देखें, तो शादी-ब्याह में गाली बाले प्रहसन, गीत, महाराष्ट्र में लावणी, हिमाचल की सीमा के आसपास मनाया जाने वाला पर्व होलाच, औरंगाबाद का देव उत्सव, होली में फ्युआ के दौरान वही पुरानी परंपरा और लोक गाने देखेने-सुनने को मिलते रहे हैं। भोजपुरी, मगाही, बुंदेली और मैथिली के लोकीरीतों में भी मानव भावनाओं का अपेक्षाकृत स्याह, मगर चमकीला-सा पहलू बार-बार उभर आता है। ऐसे गीतों का हमारे समाजों में हमेशा से विशेष स्थान रहा है। ऐसे गीत युजरात में भी गाए जाते थे और कन्नड़ में भी। दुनिया के मशहूर लेखकों में शुमार सआदत हसन मंटो और इस्मत चुगताई पर सालों तक अश्लील लेखन का तमगा लगा रहा और उन्हें अदालतों में भी घसीटा गया। मुख्यधारा के साहित्य से भी कभी अश्लीलता को दूर नहीं किया जा सका, अक्सर विमर्श को इस दिशा में मोड़ दिया गया कि अश्लीलता देखने या सुनने वाले की निगाह या मन में है। यह तर्क तो और भी पुराना है कि लोग सुनते हैं, इसलिए ऐसे गीत बनते हैं। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा कोना या समाज होगा, जहां थोड़ी मात्रा में रचनात्मक अश्लीलता न होगी। तभिल फिल्मों के शीर्ष निर्देशक मणिरत्नम ने भी तकरीबन अपनी हर फिल्म में एक द्विअर्थी और भद्रेस गीतों का इस्तेमाल किया है रोजा फिल्म के गीत स्क्रिमणी, शादी के बाद क्या-क्या हुआ गीत के संदर्भ में उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, 'मैंने बचपन से यही देखा है। मोहल्ले में किसी की भी शादी हो, हर कोई आनंद में ढूबने लगता है, संवाद की शैली बदलने लगती है। बड़े-बड़ों को छेड़ना, ढके-छिपे शब्दों में यौन संबंधों की बातें करना, यहां सब बहुत सामान्य हो जाता है। लगभग सबको इसमें मजा आता है। हम इसे केवल अश्लील कहकर दबाना नहीं सकते।' यह सही है कि अश्लील और श्लील के बीच का सूत भर का पर्क सालों में मिटा चला गया है। इसके पीछे कई बजें रही हैं। तेजी से बदलता हुमारा समाज, शिक्षा, जीवनशैली और सोच। गांव अब गांव नहीं रह गए। हर कहीं एक शहर घुस आया है औरैश शहरों की लंपटता व लिप्सा के आगे कोई टिक नहीं पाया। कोई सीमा नहीं रह गई। कोई सेंसरशिप नहीं रह गया। न सोच में, न विचार में। सवाल यह भी उठता है कि अश्लीलता की आड़ में अनेक युवा मनमानी करते हैं। समाज में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं।

न्याय में तेजी लाएंगे तीन नए कानून

विभूति नारायण राय

देश अपनी अठारहवीं लोकसभा को चुनने में व्यस्त है और चुनावों के शोर-शराबे में एक महत्वपूर्ण चर्चा गुम हो गई है। शनिवार 20 अप्रैल को राजधानी नई दिल्ली के एक सेमिनार में बोलते हुए देश के प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम को इंगित करते हुए कहा कि हाल में भारतीय संसद में पारित तीन नए कानूनों - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ भारत का आपाराधिक न्याय संबंधी कानूनी ढांचा एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। यहां यह उत्खेत्र करना प्रासंगिक होगा कि ये तीनों कानून पहली जुलाई से अस्तित्व में आ जाएंगे। खुद प्रधान न्यायाधीश के शब्दों में, 'मैं समझता हूँ कि संसद द्वारा इन तीन नए कानूनों को पारित करने से यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि भारत अब बदल रहा है। भारत आगे बढ़ रहा है और हमें अपने समाज के भविष्य के समक्ष आने वाली रोजमर्रा की चुनौतियों से निपटने के लिए नए कानूनी औजारों की जरूरत है। प्रधान न्यायाधीश ने प्रचलित के स्थान पर नए कानूनों के पारित होने को एक ऐतिहासिक क्षण बताया, क्योंकि उनके शब्दों में 'दूसरे कोई भी कानून हमारे समाज की रोजमर्रा की गतिविधियों को इन फैजदारी कानूनों से अधिक प्रभावित नहीं करते।' ऐसा क्या है इन तीन संशोधित कानूनों में, जिनके चलते प्रधान न्यायाधीश को इनका संसद में पारित किया जाना युगांतकारी लगा? इसके लिए जरूरी है कि जिन तीन कानूनों की जगह ये नए कानून ले रहे हैं, उनकी पृष्ठभूमि, उद्देश्य और दीर्घकालीन भूमिका को समझ लिया जाए। साल 1857 के विद्रोह को दबाने और इस्ट इंडिया कंपनी से शासन अपने हाथ में लेने के बाद ब्रिटिश शासकों को संसद द्वारा पारित ऐसी संहिताओं की जरूरत महसूस हुई, जिनसे वे अपना शासन तो संभवित कर दी लें और साथ



यह भी दावा कर सकें कि उनकेउपनिवेश भारत में कानून और कायदे का राज्य है। इसी मकसद से 1860 के दशक में तीन महत्वपूर्ण कानून भारतीय दंड सहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया सहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (इंडियन एवीडेंस एक्ट) ब्रिटिश संसद से पारित होकर, कुछ अपवादों को छोड़कर, देश भर में लागू किए गए। इन कानूनों को बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य तो 1857 जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना और दुनिया को ब्रिटिश राज्य के न्याय प्रिय होने का संदेश देना था, पर इनके चलते भारतीय समाज ने अभूतपूर्व सांस्कृतिक झटके महसूस किए। यह पहला मौका था, जब वर्णाश्रम पर आधारित इस समाज में न्याय के सामने सभी नागरिक समान समझे जाने वाले थे। समान अपराध के लिए ब्राह्मण और शूद्र को एक समान दंड मिलता और दोनों की गवाही की कीमत भी समान होती। मैकाले की बनाई दंड सहिता बहुत ही विस्तृत और मानव जीवन के हर पहलू को छूने वाली थी। यह हुआ भी, पर तेजी से बदलती दुनिया में कोई भी व्यवस्था डेढ़ सौ वर्षों से अधिक समय तक अपरिवर्तीय नहीं रह सकती। एक

औपनिवेशिक शासन के सुदृढ़ बने रहने में मदद करने के लिए बनाई गई संहिताओं ने बख्बरी अपनी भूमिका निभाई, पर क्या एक स्वतंत्र भारत में इन्हें बदला नहीं जाना चाहिए था? विकास के पथ पर तेजी से बढ़ने की कोशिश करने वाले समाज में स्वाभाविक रूप से बड़ी आर्थिक हलचलें होनी थीं और इनसे आर्थिक अपराधों की नई श्रेणियां निर्मित होनी थीं। बहुत सारी उप-राष्ट्रीयताओं को एक बड़ी राष्ट्रीयता में समाहित करने की दुष्कर प्रक्रिया भी लंबी खिंचनी थी। इन सबसे अधिक पराधीनता में रहने के आदी नागरिकों के विशाल समूह को किसी स्वतंत्र गणतांत्रिक समाज का नागरिक बनाना भी कोई आसान काम नहीं था। इन सबके लिए जरूरी था कि हमारे कानूनों को बदलते यथार्थ के अनुकूल बनाया जाए। यह अलग बात है कि आजादी हासिल करने के 75 वर्षों बाद ही ये बहुप्रतीक्षित परिवर्तन हो सके। हममें से जिनका भी साबका भारतीय न्याय प्रणाली से पड़ा है, उनमें से शायद ही किसी के अनुभव सुखद रहे हों। एक अनुभव जिससे सभी सहमत होंगे कि न्याय हासिल करने की परी प्रक्रिया बड़ी उत्तम और थका देने वादकारा, वकाल सभा शरक ह। न्यस्त स्वयं कोइन कोई नुक्ता तलाश कर मुकदमे की कार्यवाही को लंबा घसीटे रहते हैं और नतीजतन मुख्तार अंसारी जैसे धनवान बाहुबली दशकों छुटे घृमते रह सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि नई व्यवस्था कैसे फैसलों के लिए तीन साल की अवधि सीमा लागू करवा सकेगी। मृग मंत्री अमित शाह और उनके मंत्रालय को जहां वर्षों की जदोजहद के बाद पुराने को बदलकर नए कानून लाने की शाबाशी मिलनी चाहिए, वहां उन्हें न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की यह सलाह भी याद रखनी होगी कि 1 जुलाई से लागू होने वाले इन कानूनों की सफलता या सार्थकता इन्हें लागू करने वालों की इच्छाशक्ति और नेकनीयती पर निर्भएं करेगी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के अनुसार, इनके सफल कार्यान्वयन के लिए जरूरी है कि हम अपने फैरोजिक विशेषज्ञों की क्षमता वृद्धि के लिए पर्याप्त निवेश करें, विवेचनाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करें और अदालती निजाम को सुधारने के लिए संसाधनों की कमी न होने दें। उनके अनुसार, नए कानूनों का सकारात्मक प्रभाव दिखाने के लिए बिना विलंब अधिकतम निवेश करने की जरूरत है।

संक्षिप्त समाचार

मतदान की जागरूकता के लिए शपथ ग्रहण
शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया



रायपुर (विश्व परिवार)। 1 मई 2024 बुधवार को रायपुर में स्थित वृंदावन हॉल में श्रम दिवस के उत्तराधिकारी महिलाओं ने मतदान की जागरूकता के लिए शपथ ग्रहण किया गया। महिलाओं ने आज जानकारी के बारे में अंतर्गत तीसरी किश्त महिलाओं के खाते में ट्रॉफी और डिप्लोमा दिए। इसके तहत प्रदेश की 70 लाख से अधिक महिलाओं को एक-एक हजार की राशि उनके खातों में पहुंचाई गई है। सीतापुर की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने आज महतारी वृंदावन योजना की तीसरी किश्त दे दी है। उन्होंने सभी मतांगों-बनों से अपना-अपना खाता चेक करने की बात कही।

गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने आज महतारी वृंदावन योजना की अधिकारी एवं तीर्तीय मात्रा का भुगतान किया गया है। महतारी वृंदावन योजना प्रदेश में 01 मार्च 2024 से लागू की गई है। मार्च मात्र की सहायता राशि प्राप्त होगी। 6.48.004 हितग्राहियों, जिनके खाते आधार से लिंक नहीं हैं, उन्हें एनईएफटी के माध्यम से उनके खाते में भुगतान किया जा रहा है।

पूरे दिवस में 20.26.452 हितग्राहियों का विनाशक बैचल जिला विभाग ने आज सहायता राशि प्राप्त होगी। 70.12.417 आवेदन स्वीकृत किए गए थे। अद्यतन स्थिति में मृत हुए हितग्राहियों को सूची से हटाते हुए 6 माह मई में कुल 70.07.230 हितग्राहियों को भुगतान किया गया है।

रोटरी क्लब रायपुर ग्रेटर द्वारा दो दिवसीय डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग असेंबली संकल्प कार्यक्रम का हुआ समाप्त



रायपुर (विश्व परिवार)। दिनांक 27-28 अप्रैल को रोटरी क्लब रायपुर ग्रेटर द्वारा आयोजित दो दिवसीय डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग असेंबली संकल्प कार्यक्रम का शानदार समाप्त हुआ। बृहद रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3261 के तीन राज्यों छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश व उड़ीसा से आये रोटरी सदस्यों में सहभागिता प्रदान की और पूरे देश से आये बहुमुखी प्रतिभाशाली प्रशिक्षण प्रदाताओं ने अपने अंजस्वी उद्घोषण से कार्यक्रम में उपस्थित 400 से अधिक रोटरी सदस्यों को मंत्रमुद्ध कर दिया। सभी प्रशिक्षणकर्ताओं ने आगामी सर के रोटरी पदाधिकारियों को रोटरी के उद्देश्यों और सेवा भाव से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। जानकारी प्रदान की। पूरे कार्यक्रम की विशिष्टता मामार्ह हिमायें राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री विश्वभूषण हरिचंदन की गरिमापूर्वक उपस्थिति एवं उनके प्रेरक उत्तरोधन है। कार्यक्रम में अन्य प्रशिक्षण विभूतियों विशेषज्ञ पंडित विजय शंकर जी मेहता, राज्यसभा सांसद श्री विवेक कृष्ण तन्नाया जी, प्रख्यात प्रेरक प्रवचनकर्ताओं की उपस्थिति से रोटरी क्लब रायपुर ग्रेटर गौरवनिवात हुआ। इस तरह का कार्यक्रम रायपुर क्षेत्र में पहली बार संपादित हुआ और हम अपने उद्देश्यों में सफल रहे।

संरक्षा के सजग प्रहरियों को महाप्रबंधक ने किया सम्मानित

रायपुर (विश्व परिवार)। रेल परिवार में संरक्षा दर्शन पूर्व मध्य रेलवे की संवेदन्च प्राथमिकता है। सजगता एवं बहरत संरक्षा कार्य में सहभागिता निभाने वाले रेल संरक्षा के सजग प्रहरी कर्मचारियों का सम्मान महाप्रबंधक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा हर माह आयोजित संरक्षा बैठक के दौरान किया जाता है। इसी कड़ी में आज दिनांक 01 मई' 2024 को

रायपुर एवं नामपुर मंडल में कार्यरत संरक्षा को उनके उत्कृष्ट एवं इसकी सुचना स्टेशन मास्टर को दी गयी। उन्होंने ने वैगान के उस टूटे हुए हिस्से का फोटो तत्काल उच्च अधिकारियों को भेजा। जिसकी वजह से समय रहने उस खराबी का उचित संवादान विद्युत आयोजित करने के लिए इसकी विभागीय एवं संवर्तकता से देन परिचलन में संरक्षा सुनिश्चित हुई। इसी प्रकार नामपुर रेल मंडल के गोदाया स्टेशन में कार्यरत मालगाड़ी प्रबंधक श्री

वैगान के पहिया के हिस्से में दरार को देखा एवं इसकी सुचना स्टेशन मास्टर को दी गयी। उन्होंने ने वैगान के उस टूटे हुए हिस्से का फोटो तत्काल उच्च अधिकारियों को भेजा। जिसकी वजह से समय रहने उस खराबी का उचित संवादान विद्युत आयोजित करने के लिए इसकी विभागीय एवं संवर्तकता से देन परिचलन में संरक्षा सुनिश्चित हुई। इसी प्रकार नामपुर रेल मंडल के गोदाया स्टेशन में कार्यरत मालगाड़ी प्रबंधक श्री

रायपुर एवं नामपुर मंडल के भिलाई स्टेशन में एक अद्यता श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 अप्रैल' 2024 को अपने इयूटी के दौरान मालगाड़ी से एक दूसरी ट्रेन में एक

खराबी को देखा। जिसमें कि उस ट्रेन के

परियोजना प्रमुख, लारा ने श्रीमिक को

संबोधित किया। श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 मई' 2024 को

रायपुर एवं नामपुर मंडल के भिलाई स्टेशन में एक अद्यता श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 अप्रैल' 2024 को अपने इयूटी के दौरान मालगाड़ी से एक दूसरी ट्रेन में एक

खराबी को देखा। जिसमें कि उस ट्रेन के

परियोजना प्रमुख, लारा ने श्रीमिक को

संबोधित किया। श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 मई' 2024 को

रायपुर एवं नामपुर मंडल के भिलाई स्टेशन में एक अद्यता श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 अप्रैल' 2024 को अपने इयूटी के दौरान मालगाड़ी से एक दूसरी ट्रेन में एक

खराबी को देखा। जिसमें कि उस ट्रेन के

परियोजना प्रमुख, लारा ने श्रीमिक को

संबोधित किया। श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 मई' 2024 को

रायपुर एवं नामपुर मंडल के भिलाई स्टेशन में एक अद्यता श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 अप्रैल' 2024 को अपने इयूटी के दौरान मालगाड़ी से एक दूसरी ट्रेन में एक

खराबी को देखा। जिसमें कि उस ट्रेन के

परियोजना प्रमुख, लारा ने श्रीमिक को

संबोधित किया। श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 मई' 2024 को

रायपुर एवं नामपुर मंडल के भिलाई स्टेशन में एक अद्यता श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 अप्रैल' 2024 को अपने इयूटी के दौरान मालगाड़ी से एक दूसरी ट्रेन में एक

खराबी को देखा। जिसमें कि उस ट्रेन के

परियोजना प्रमुख, लारा ने श्रीमिक को

संबोधित किया। श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 मई' 2024 को

रायपुर एवं नामपुर मंडल के भिलाई स्टेशन में एक अद्यता श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 अप्रैल' 2024 को अपने इयूटी के दौरान मालगाड़ी से एक दूसरी ट्रेन में एक

खराबी को देखा। जिसमें कि उस ट्रेन के

परियोजना प्रमुख, लारा ने श्रीमिक को

संबोधित किया। श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 मई' 2024 को

रायपुर एवं नामपुर मंडल के भिलाई स्टेशन में एक अद्यता श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 अप्रैल' 2024 को अपने इयूटी के दौरान मालगाड़ी से एक दूसरी ट्रेन में एक

खराबी को देखा। जिसमें कि उस ट्रेन के

परियोजना प्रमुख, लारा ने श्रीमिक को

संबोधित किया। श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 मई' 2024 को

रायपुर एवं नामपुर मंडल के भिलाई स्टेशन में एक अद्यता श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 अप्रैल' 2024 को अपने इयूटी के दौरान मालगाड़ी से एक दूसरी ट्रेन में एक

खराबी को देखा। जिसमें कि उस ट्रेन के

परियोजना प्रमुख, लारा ने श्रीमिक को

संबोधित किया। श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 मई' 2024 को

रायपुर एवं नामपुर मंडल के भिलाई स्टेशन में एक अद्यता श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 अप्रैल' 2024 को अपने इयूटी के दौरान मालगाड़ी से एक दूसरी ट्रेन में एक

खराबी को देखा। जिसमें कि उस ट्रेन के

परियोजना प्रमुख, लारा ने श्रीमिक को

संबोधित किया। श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 मई' 2024 को

रायपुर एवं नामपुर मंडल के भिलाई स्टेशन में एक अद्यता श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 अप्रैल' 2024 को अपने इयूटी के दौरान मालगाड़ी से एक दूसरी ट्रेन में एक

खराबी को देखा। जिसमें कि उस ट्रेन के

परियोजना प्रमुख, लारा ने श्रीमिक को

संबोधित किया। श्री अश्विन राव ने दिनांक 10 मई' 2024 को